न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी- आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 80/2017 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

देबीलाल पिता कजोड गाडरी निवासी गठीलाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा।

बनाम प्रार्थी

1. श्री रघुनाथ पिता कजोड गाडरी निवासी गठीलाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. कालू पिता नारायण गाडरी निवासी गठीलाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. बाली पत्नि नाराया गाडरी निवासी गठीलाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

विपक्षीगण

उपस्थित- अधिवक्ता प्रार्थी हरदयाल वर्मा
अधिवक्ता विपक्षी सं. 2 किशन कुमावत

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए :-

-: निर्णय :-

दिनांक 22.5.2024

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का विरूद्व विपक्षीगण प्रस्तुत कर अंकित किया है कि ग्राम मण्डपिया प0ह0 मण्डपिया भू0अ0नि0 आटूण तहसील भीलवाडा में प्रार्थी की स्वर्गीय गोदमाता राजी पत्नि गोपी व चांदी पत्नि देबी के स्वामित्व व खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 188, 1340/187 कुल किता 02 कुल रकबा 02 बीघा भूमि स्थित है। जिसमें राजी बेवा गोपी गाडरी का 1/2 हक हिस्सा था, उसकी मृत्यु के बाद राजी के हिस्से पर प्रार्थी का कब्जा काश्त होकर भुगत भोग प्रार्थी का है। विपक्षीगण स्व0 राजी के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी नही है फिर भी तहसीलदार भीलवाडा ने दिनांक 3.11.2016 को नामान्तकरण का आदेश दिया जिससे प्रार्थी पाबन्द नही है, लेकिन उक्त नामान्तकरण की आड में विपक्षीगण वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे है प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है यदि विपक्षीगण ने प्रार्थी को उपरोक्त वर्णित आराजियात से बेदखल कर कब्जा कर लिया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर ता:फैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा विपक्षीगण के विरूद्व जारी कराई जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगण के नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 03 के विरूद्व दिनांक 8.4.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। विपक्षी संख्या 1 व 2 का जवाब दिनांक 22.8.2022 बन्द किया गया। विपक्षी संख्या 4 के विरूद्व भी दिनांक 22.8.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओ को दोहराते हुए ग्राम मण्डपिया पह0 मण्डपिया भू0अ0नि0 आटूण तहसील भीलवाडा के आराजी नम्बर 188 व 1340/187 प्रार्थी की स्वर्गीय गोदमाता राजी पत्नि गोपी व चांदी पत्नि देबी के स्वामित्व व खातेदारी अधिकार की है। जिस पर विपक्षीगण कब्जा करने व खुर्द बुर्द करने पर उतारू है, जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाये।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं परीक्षण किया गया। वादग्रस्त मण्डपिया प0ह0 मण्डपिया भू0अ0नि0 आटूण की जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 में खाता संख्या 301 में आराजी नम्बर 188, 1340/187 कुल किता 2 कुल रकबा 02 बीघा भूमि राजी पत्नि गोपी, चांदी बाई पत्नि देवी गाडरी हिस्सा हि.ब. निवासी गठीलाखेडा खातेदार दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि श्रीमति चांदी बाई पत्नि भागीरथ सुथार निवासी मण्डपिया से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.04.2005 से कय की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थी ने गोपी का गोदपुत्र एवं राजी का गोदपुत्र होने से उक्त आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित करने का वादपत्र प्रस्तुत किया गया हे जो विचाराधीन है। प्रार्थी ने गोदपुत्र के संबंध में रजिस्टर्ड गोदनामे का कोई दस्तावेज संलग्न नही किया है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला नही बनात है, सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नही बनता है, वादग्रस्त आराजी के खातेदार राजी व चांदी बाई होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का स्वीकार योग्य नही ठहरता है अतःएवं

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का सिद्व नही होने से खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा